

10/7/2015

पत्रावली आज राजरत्न लोक अदालत अक्स
 सेवा केन्द्र ग्रुप भूखण्ड पर प्रस्तुत हुई।
 वारी व परिवारीजन उपस्थित। दोनों पक्षों
 को सुना गया। विवाद रास्ते को लेकर ही
 प्रतिवादियों का कहना है कि उनके द्वारा
 वादी की ज़म्मेदारी में दरबल नहीं किया
 जा रहा है। रोके पक्ष वादग्रस्त भराजी
 का सीमादान करागे व उसी सीमा पर
 काबिज रहने हेतु सहमत है।
 अतः दोनों पक्षों की
 सहमति से वाद का इसी स्टेज पर
 निस्तारण किया जाता है। पत्रावली
 फैसलामुहानर होकर तम्बर से कम है
 तथा दफ्तर दाखिल है।

राजराज

श्रीमच्छरद्वारा
भंडारण

जागवान